



सहकारिता विभाग, उत्तराखण्ड

निबंधक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड, देहरादून

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

धारा (4)(ख) के स्व: प्रकटीकरण के प्रावधान के अन्तर्गत तैयार मैनुअल

मैनुअल-01

{धारा 4(1)(ख)(I)}

सहकारिता विभाग की विशिष्टियां, कृत्य एवं कर्तव्य

31 मार्च 2026 तक अद्यावधिक

1. विभागीय परिचय

विभाग का नाम	सहकारिता विभाग, उत्तराखण्ड शासन
विभागाध्यक्ष	निबंधक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड, देहरादून
कार्यालय का पता	कार्यालय निबंधक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड, सहकारिता परिसर, निकट रेलवे क्रॉसिंग, रायपुर-तुनवाला रोड, मियांवाला, देहरादून
विभागीय वेबसाइट	Cooperative.uk.gov.in
ई-मेल	rcsuttarakhand@gmail.com
अद्यतन स्थिति	31 मार्च, 2026 तक अद्यावधिक

पृष्ठभूमि

उत्तराखण्ड राज्य गठन के पश्चात राज्य में सहकारी आन्दोलन को प्रभावी बनाये जाने के उद्देश्य से सहकारी समिति अधिनियम में व्यापक परिवर्तन किये गये हैं। सहकारिताओं को आर्थिक उदारीकरण के युग के अनुरूप परिवर्तित करने हेतु सहकारी समिति अधिनियम में निबन्धक के नियंत्रण को कम किया गया है, जिससे सहकारितायें स्वाश्रयी बन सकें। इसके अतिरिक्त परम्परागत सहकारी अधिनियम के साथ-साथ एक समानान्तर स्वायत्त सहकारी अधिनियम भी वर्ष 2003 से राज्य में लागू किया गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत निबन्धित होने वाली सहकारितायें निबन्धक के नियंत्रण से मुक्त होगी। राज्य में सहकारिता आन्दोलन को कृषिकोन्मुख बनाया गया है तथा कृषि ऋणों में ब्याज दर में कमी की गई है। राज्य की सहकारिताओं ने अपने व्यवसाय को नया आयाम दिया है। प्रारम्भिक सहकारिताएं कृषि ऋण के अतिरिक्त अपने सदस्यों को गैर कृषि ऋण भी उपलब्ध करा रही हैं। वर्तमान में राज्य में संचालित दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजनान्तर्गत सदस्यों विशेषकर लघु एवं सीमान्त तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कृषक व अकृषक सदस्यों को कृषि तथा कृषियेत्तर कार्यो यथा पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन आदि हेतु मु0 3.00 लाख रु0 तक का ऋण एवं महिला समूहों को मु0 5.00 लाख रु0 तक का ऋण ब्याज रहित उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य में सहकारिता आन्दोलन चरणबद्ध तरीके से प्रगति की ओर अग्रसर है।

2. विभागीय संगठन, संगठन चार्ट



विभाग की वर्तमान संरचना के अनुसार मुख्यतः पाँच स्तरों पर कार्यालय स्थापित/कार्यरत हैं—(1) मुख्यालय/प्रादेशिक स्तर, (2) मण्डलीय स्तर, (3) जनपद स्तर, (4) तहसील स्तर तथा (5) विकासखण्ड स्तर।

3. विभागीय संगठन की प्रमुख व्यवस्था

प्रादेशिक स्तर—

प्रादेशिक स्तर पर विभागाध्यक्ष के रूप में निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड कार्यरत हैं। निबन्धक के सहयोगार्थ अपर निबन्धक, संयुक्त निबन्धक, उप निबन्धक, वित्त नियंत्रक तथा अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण कार्य करते हैं।

मण्डल स्तर—

मण्डल स्तर पर सहकारिता विभाग के कार्यों के संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु उप निबन्धक, सहकारी समितियां तथा अन्य संबंधित अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं।

जनपद स्तर—

जनपद स्तर पर सहकारिता विभाग के कार्यों के संचालन, पर्यवेक्षण एवं समन्वय हेतु जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां तथा अन्य संबंधित अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं।

तहसील स्तर—

तहसील स्तर पर विभागीय कार्यों के निष्पादन हेतु सहकारी निरीक्षक वर्ग-1/अपर जिला सहकारी अधिकारी आदि अधिकारी कार्य करते हैं।

विकासखण्ड स्तर—

विकासखण्ड स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (सह.)/सहकारी निरीक्षक वर्ग-2 एवं राजकीय पर्यवेक्षक आदि द्वारा विभागीय कार्यों का सम्पादन किया जाता है।

4. विभाग के अधीन सहकारी संस्थाओं का संस्थागत स्वरूप

राज्य में सहकारिता व्यवस्था के अन्तर्गत संस्थागत संरचना के अनुसार सहकारी संस्थाएं मुख्यतः तीन स्तरों पर कार्यरत हैं: (क) शीर्ष सहकारी संस्थाएं, (ख) केन्द्रीय सहकारी संस्थाएं तथा (ग) प्राथमिक सहकारी संस्थाएं। उक्त तीनों स्तरों की सहकारी संस्थाएं अपने निर्धारित कार्यक्षेत्र, दायित्व एवं उद्देश्यों के अनुरूप राज्य की सहकारिता व्यवस्था के संचालन एवं विकास में कार्यरत हैं।

(क) शीर्ष सहकारी संस्थाएं

- 1- उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि., हल्द्वानी, नैनीताल—यह सहकारिता की शीर्ष सहकारी संस्था है, जो कि बैंकिंग का कार्य कर रही है इस संस्थान की दो शाखायें हल्द्वानी एवं देहरादून में कार्यरत है इसका मुख्यालय हल्द्वानी में है। राज्य सहकारी बैंक के सम्बन्ध में सूचना प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड, राज्य सहकारी बैंक कालाढूंगी रोड़ हल्द्वानी जिला नैनीताल दूरभाष-05946/255697 अथवा 0135/2740906 से प्राप्त की जा सकती है।
2. उत्तराखण्ड राज्य सहकारी विपणन संघ लि. देहरादून—सहकारिता की नॉन बैंकिंग की यह शीर्ष सहकारी संस्था है इस संस्था का मुख्यालय यू0सी0एफ0 सदन, दीप नगर रोड़, अजबपुर कलां, देहरादून, उत्तराखण्ड है, संस्था के प्रबन्ध निदेशक श्री आनन्द ए0डी0 शुक्ल, अपर निबन्धक सहकारी समितियाँ उत्तराखण्ड हैं। विपणन संघ के सम्बन्ध में सूचना प्रबन्ध निदेशक, राज्य सहकारी विपणन संघ, लि0, देहरादून, यू0सी0एफ0 सदन, दीप नगर रोड़, अजबपुर कलां, देहरादून, उत्तराखण्ड दूरभाष नम्बर 0135-2665020 से प्राप्त की जा सकती है।
3. उत्तराखण्ड प्रादेशिक को-ऑपरेटिव यूनियन लि., देहरादून
4. उत्तराखण्ड को-ऑपरेटिव रेशम फेडरेशन लि., प्रेमनगर, देहरादून
5. उत्तराखण्ड आवास एवं निर्माण सहकारी संघ लि., काशीपुर, ऊधमसिंह नगर
6. उत्तराखण्ड राज्य भण्डारण निगम लि., रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर
7. उत्तराखण्ड बुनकर एवं हस्तशिल्प सहकारी संघ लि., किच्छा, ऊधमसिंह नगर
8. उत्तराखण्ड राज्य भेड़, बकरी, शशक पालक को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि., पशुधन भवन, मोथरोवाला रोड़, देहरादून
9. उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य सहकारी संघ लि., हरिद्वार
10. उत्तराखण्ड लेबर कॉन्ट्रैक्ट को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि., देहरादून
11. उत्तराखण्ड राज्य सहकारी परिषद, देहरादून
12. सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण, देहरादून
13. उत्तराखण्ड सेब उत्पादक एवं विपणन सहकारी संघ लि.
14. सहकारी न्यायाधिकरण, देहरादून

15. उत्तराखण्ड राज्य ग्रामोद्योग सहकारी संघ लि., सतग्राम संकुल केन्द्र, गैण्डीखाता, हरिद्वार
16. उत्तराखण्ड सहकारी उद्यान एवं विपणन संघ लि., देहरादून
17. उत्तराखण्ड सहकारी उपभोक्ता संघ लि., श्री टावर, बाईपास रोड, निकट रिस्पना पुल, देहरादून
18. उत्तराखण्ड कुक्कुट एवं पशुपालन सहकारी संघ लि. 152, किशन नगर एक्सटेंशन, देहरादून

(ख) केन्द्रीय सहकारी संस्थाएं

राज्य में निम्नलिखित केन्द्रीय सहकारी संस्थाएं जनपदों में कार्यरत हैं। इनके कार्यकलाप, कृत्यों एवं कर्तव्यों के संबंध में सूचना संबंधित सहकारी संस्था के सचिव/प्रबंध निदेशक अथवा संबंधित जिले के जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड से प्राप्त की जा सकती है।

संस्था की श्रेणी	संख्या
जिला सहकारी बैंक लि.	10
जिला केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डार लि.	05
जिला सहकारी संघ लि.	07
विकास सहकारी संघ	71
अन्य सहकारी संघ	10

(ग) प्राथमिक सहकारी समितियां

प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां न्याय पंचायत स्तर पर कार्यरत हैं। तथा अन्य विभिन्न प्रकार की प्राथमिक सहकारी समितियों के कार्यक्षेत्र, उद्देश्य इत्यादि के संबंध में सूचना संबंधित जिले के जिला सहायक निबन्धक के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

समिति की श्रेणी	संख्या
प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां	670
प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी समितियां	161
क्रय-विक्रय सहकारी समितियां	34
श्रम सहकारी समितियां	525
वेतनभोगी सहकारी समितियां	331
नगरीय सहकारी बैंक	05
परिवहन सहकारी समितियां	34
बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियां	59
कृषि सहकारी समितियां	128
मुर्गीपालन सहकारी समिति	11
सुअर पालन सहकारी समिति	04
गृह निर्माण सहकारी समितियां	111
तिलहन सहकारी समितियां	52
औद्योगिक सहकारी समितियां	419
औद्यानिक सहकारी समितियां	31
मत्स्य सहकारी समितियां	17
रेशम सहकारी समितियां	93
पशु शव विच्छेदन सहकारी समितियां	32
अन्य सहकारी समितियां	248

5. विभाग के प्रमुख कृत्य एवं कर्तव्य

1. सहकारी समितियों का पंजीकरण/निबन्धन एवं संबंधित वैधानिक कार्यवाही।
2. सहकारी समितियों के क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण एवं नियमन।
3. सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन संबंधी कार्यों का वैधानिक प्रावधानों के अनुसार सम्पादन।
4. सहकारी समितियों की उपविधियों के अनुमोदन/संशोधन संबंधी कार्यवाही।
5. सहकारी समितियों के निरीक्षण एवं जांच से संबंधित कार्य।
6. सहकारी संस्थाओं में वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन की निगरानी।
7. सहकारी संस्थाओं के प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यों की वैधानिक सीमा में निगरानी।
8. सहकारी समितियों के मध्य समन्वय एवं मार्गदर्शन।
9. सहकारिता के माध्यम से कृषि, दुग्ध, मत्स्य, विपणन, उपभोक्ता, आवास, श्रम, महिला कल्याण, हस्तशिल्प, हथकरघा आदि क्षेत्रों में सहकारी गतिविधियों को प्रोत्साहन।
10. शासन द्वारा समय-समय पर सौंपे गए सहकारिता संबंधी कार्यों का निष्पादन।
11. सहकारी संस्थाओं के संबंध में प्राप्त शिकायतों/प्रकरणों पर नियमानुसार कार्यवाही।
12. सहकारी संस्थाओं से संबंधित अभिलेखों का संधारण एवं संरक्षण।
13. सहकारी संस्थाओं को आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन एवं तकनीकी/प्रशासकीय सहयोग।
14. सहकारिता क्षेत्र की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में आवश्यक समन्वय।
15. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत पारदर्शिता एवं सूचना उपलब्ध कराने संबंधी दायित्वों का निर्वहन।

6. विभागीय कार्य—प्रवाह

शासन/वैधानिक प्रावधान एवं नीतिगत दिशा-निर्देश



निबन्धक, सहकारी समितियां—राज्य/मुख्यालय स्तर



मण्डलीय स्तर—पर्यवेक्षण एवं समन्वय



जनपद स्तर—संचालन, पर्यवेक्षण एवं समन्वय



तहसील स्तर—क्षेत्रीय निष्पादन



विकासखण्ड स्तर—क्षेत्रीय/स्थानीय कार्य सम्पादन



सहकारी संस्थाएं— शीर्ष → केन्द्रीय → प्राथमिक

7. मुख्यालय स्तर— पद संरचना

पदनाम	वर्तमान आवंटित पदों की संख्या	अभ्युक्ति
निबन्धक	01	आई. ए. एस.
अपर निबन्धक	02	
संयुक्त निबन्धक	04	
उप निबन्धक	04	
वित्त नियंत्रक	01	प्रतिनियुक्ति (वित्त सेवा), मुख्यालय हेतु
सहायक निबन्धक	02	
सहायक लेखाधिकारी	02	लेखा संवर्ग से
वैयक्तिक अधिकारी	01	
वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	02	
वैयक्तिक सहायक	02	
सहकारी निरीक्षक वर्ग-1	06	
सहकारी निरीक्षक वर्ग-2	04	
लेखाकार	01	
सहायक लेखाकार	02	
अन्वेषक कम संगणक	02	
अवर अभियन्ता	01	प्रतिनियुक्ति के माध्यम से मुख्यालय हेतु
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	02	
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	03	
प्रशासनिक अधिकारी	01	
प्रधान सहायक	01	
वरिष्ठ सहायक	02	
कनिष्ठ सहायक / कम्प्यूटर ऑपरेटर	04	
वाहन चालक ग्रेड-1	01	
वाहन चालक ग्रेड-2	0	
वाहन चालक ग्रेड-3	0	
वाहन चालक ग्रेड-4	0	
सहयोगी / चौकीदार / जमादार / दफ्तरी	11	
योग	62	

8. मण्डलीय स्तर के पद

पदनाम	गढ़वाल मण्डल पौड़ी	कुमाऊँ मण्डल अल्मोड़ा
उप निबन्धक	01	01
सहायक निबन्धक	01	01
सहकारी निरीक्षक वर्ग-1	01	01
सहकारी निरीक्षक वर्ग-2	02	02
लेखाकार	01	01
प्रशासनिक अधिकारी	01	01
प्रधान सहायक	01	01
कनिष्ठ सहायक/कम्प्यूटर ऑपरेटर	01	01
वाहन चालक ग्रेड-4	01	01
सहयोगी/चौकीदार/जमादार/दफ्तरी	03	03
योग	13	13

9. जनपद स्तर के पद – आवंटित पदों का विवरण

पदनाम	वेतनमान/ग्रेड वेतन	देहरादून	टिहरी	हरिद्वार	रुद्रप्रयाग	चमोली	पौड़ी	उत्तरकाशी	अल्मोड़ा	नैनीताल	रुधमसिंहनगर	पिथौरागढ़	चम्पावत	बागेश्वर	कुल योग
जिला सहायक निबन्धक	लेवल-10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
सहकारी निरीक्षक वर्ग-1	लेवल-7	7	8	6	4	6	9	6	7	9	9	8	4	4	87
सहकारी निरीक्षक वर्ग-2	लेवल-5	9	12	9	6	12	18	9	1	11	10	11	7	6	134
लेखाकार	लेवल-6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	02
सहायक लेखाकार	लेवल-5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
अन्वेषक कम संगणक	लेवल-5	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	09
प्रधान सहायक	लेवल-5	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	04
वरिष्ठ सहायक	लेवल-4	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	09
कनिष्ठ सहायक/कम्प्यूटर ऑपरेटर	लेवल-3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
राजकीय पर्यवेक्षक	लेवल-4	8	10	10	4	6	9	9	5	2	8	6	3	5	85
संग्रह कुर्क अमीन	लेवल-2	1	8	9	1	4	4	8	0	3	8	0	0	0	46
वाहन चालक ग्रेड-4	लेवल-2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
सहयोगी/चौकीदार/जमादार/दफ्तरी	लेवल-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
योग		33	45	41	21	35	47	39	33	32	42	32	20	21	441

10. RTI के अंतर्गत सूचना हेतु संपर्क सूत्र

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के स्वः प्रकटीकरण के प्राविधान के अन्तर्गत तैयार मैनुअल में उपलब्ध जानकारी के अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने हेतु सम्पर्क सूत्र—

क्रम	नाम	पद/भूमिका	दूरभाष	ई-मेल
1.	श्री मेहरबान सिंह बिष्ट	लोक प्राधिकारी/निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड, देहरादून	0135-2685634	rcsuttarakhand@gmail.com
2.	श्रीमती ईरा उप्रेती	अपर निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड, देहरादून	0135-2685634	rcsuttarakhand@gmail.com
3.	सुश्री रमिन्द्री मन्द्रवाल	विभागीय प्रथम अपीलीय अधिकारी/संयुक्त निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड, देहरादून	9412055822	rcsuttarakhand@gmail.com
4.	श्री पवन पंवार	लोक सूचना अधिकारी/अपर जिला सहकारी अधिकारी, कार्यालय-निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड, देहरादून	8892446666	rcsuttarakhand@gmail.com

11. RTI प्रक्रिया – नागरिक के लिए दृश्य मार्गदर्शिका

